राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्रमांक/अभि./सीटीएडी/धार्मिक स्थलो का पुनरोद्वार/17–18/33565-80 दिनांक : 29.8.19

परियोजना अधिकारी
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,
बांसवाडा।

विषय : 275(1)मद अन्तर्गत जनजाति महत्व के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक स्थल घोटिया आम्बा का पुनरोद्वार एवं विकास कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।

प्रसंग : परियोजना निदेशक, राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड बांसवाडा का पत्रांक PD/BSW/2019-20/185/20.05.2019.

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभागीय पत्रांक 12061–72 दिनांक 12.04.2018 द्वारा जिला बांसवाडा मे घोटिया आम्बा धार्मिक स्थल पर आधारभूत सुविधा निर्माण हेतु प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई। कार्य की कार्यकारी एजेन्सी परियोजना निदेशक, राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लि. बांसवाडा को नियुक्त किया गया जिसे विभागीय पत्रांक 7932–40 दिनांक 13.02.2019 द्वारा निरस्त कर दिया गया।

प्रासंगिक पत्र अनुसार कार्यकारी एजेन्सी द्वारा कार्य प्रारंभ कर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव एवं शासन से पत्रावली के पैरा संख्या–170 पर उपरोक्त कार्य को यथावत रखने के निर्देश के क्रम मे निम्नांकित कार्य को यथावत रखने व कार्य के सम्पादन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

कार्यकारी एजेन्सी परियोजना निदेशक, राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लि. बांसवाडा से उपरोक्त कार्य के टीएडी अंश का तकमीना एवं तकनीकी स्वीकृति (CPM-II/JU/18-19 /103/21.05.18) प्राप्त होने से राशि रू. 47.52 लाख की वित्तीय स्वीकृति निम्नानुसार जारी की जाती है।

जिला –बांसवाडा **स्थान –घोटिया आंबा** (राशि लाख रू. मे)

क्र. स.	कार्य	प्रशा. एवं वित्तीय स्वी. राशि
1	*2*	*3*
1	मंदिर के उपर के जीर्ण–शीर्ण हो चुके सामुदायिक भवन के स्थान पर नवीन सामुदायिक भवन एवं रसोई घर निर्माण	27.03
2	गोशाला तथा सामुदायिक भवन की ओर जाने वाली सीढियो के अंत मे उपर एक नवीन एम्फी थिएटर (मुक्त रंग–मंच) निर्माण	20.49
	योग	**47.52**

उपरोक्त कार्य हेतु विभागीय पत्रांक 4042–57 दिनांक 02.02.2018 के जरिये शासन की स्वीकृति संख्या–49/2017–18 जयपुर दिनांक 27.07.2017 से जनजाति क्षेत्र के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक स्थलों का नवीनीकरण एवं विस्तार हेतु प्राप्त राशि रू. 300.00 लाख मे से राशि रू. 60.00 लाख परियोजना अधिकारी, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग बांसवाडा को हस्तांतरित की जा चुकी है। हस्तांतरित की गई राशि रू. 60.00 लाख मे से राशि रू. 47.52 लाख उपरोक्त तालिका मे वर्णित कार्यो पर व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

शर्ते :–

1. **यदि उक्त कार्य अन्य किसी स्त्रोत से पूर्व में स्वीकृत हो गया हो तो अविलम्ब सूचित करें। यदि दोहरा व्यय होता है तो इसकी जिम्मेदारी कार्यकारी एजेन्सी की रहेगी।**
2. निर्माण कार्य सार्वजनिक एवं निर्विवाद भूमि पर कराया जावे।
3. राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं संशोधन नियम 2013 तथा सामान्य लेखा एवं वित्तीय नियम की पालना सुनिश्चित की जावें।

कृ.पृ.उ.

4. राशि का उपयोग स्वीकृत कार्यो पर ही तकनीकी स्वीकृति व ड्राईग अनुसार पूर्ण **गुणवत्तापूर्वक** किया जावे।
5. स्वीकृत कार्यो का third party inspection के समय आवश्यक सूचनाएं कार्यकारी एजेन्सी द्वारा निरीक्षण दल को उपलब्ध करवाई जावेगी। निरीक्षण में पाई गई कमियों को दुरस्त/ठीक करने की जिम्मेदारी कार्यकारी एजेन्सी की होगी।
6. कार्य पूर्ण होने पर उपयोगिता व कार्य पूर्णता प्रमाण–पत्र के साथ बचत राशि लौटाई जावे। कार्य के प्रारंभ प्रगति पर एवं पूर्ण होने पर फोटोग्राफ भिजवाये जावे।
7. कार्य प्रारंभ करने से पूर्व प्रगति पर एवं पूर्ण होने के पश्चात् फोटोग्राफ विभाग को प्रेषित किये जावे एवं स्वीकृत कार्य की geo-tagging कर soft copy मे comm.tad@gmail.com पर प्रेषित करे।

भवदीय

(विकास सीताराम जी भाले)I.A.S
आयुक्त

क्रमांक यथोपरि/33565-80 दिनांक : 29.8.19

प्रतिलिपि :–

1. विशिष्ठ सचिव, मा. मंत्री महो. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।
2. शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।
3. शासन सचिव, देवस्थान विभाग राजस्थान, जयपुर।
4. जिला कलक्टर, बांसवाडा।
5. आयुक्त देवस्थान, विभाग उदयपुर।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण,पुरानी विधानसभा भवन, हवामहल के पास, राजस्थान जयपुर।
7. प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य सडक विकास एवं निर्माण निगम लि. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लि. सेतु भवन झलाना डूंगरी के सामने जयपुर।
8. मुख्य प्रबंधक, राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लि. जोधपुर
9. परियोजना निदेशक, राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लि. रोड न. 3, श्याम कोलोनी उदयपुर रोड बांसवाडा/उदयपुर/जोधपुर।
10. वित्तीय सलाहकार कार्यालय हाजा ।
11. निदेशक मॉनिटरिंग कार्यालय हाजा।
12. कम्प्यूटर शाखा कार्यालय हाजा।
13. गार्ड फाईल ।

अतिरिक्त आयुक्त (द्वितीय)
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग
उदयपुर (राज.)

1, सहेली मार्ग, चेतक सर्कल, उदयपुर (राज.) PABX: 2428721– 24 फेक्स : 0294–2428721
ई–मेल : comm.tad @gmail.com., Website www.tad.rajasthan.gov.in